

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक 12.03.2022

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा)

उनवान

मोहित बनाम हरदत सिंह आदि

दावा बाबत :- 88 आरटीए

मुकदमा नम्बर :-241/21 (2021/341)

निर्णय दिनांक :-.....

वादी की ओर से वकील रोहिताश शर्मा प्रतिवादीगण की ओर से सतवीर पूनियां वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.03.2022 को निधि पूनियां अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत एवं शकुन्तला चौधरी सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर घोषणा की जाती है कि 5 एएमएस के खाता सं. 161/151 के मु.न. 12 के किला नं. 24 की 0.253 हैक्टर, मु.न. 16 के किला नं. 4/1 की 0.228 हैक्टर, किला न. 4/2 की 0.025 हैक्टर, किला नं. 6/1 की 0.202 हैक्टर, किला नं. 6/2 की 0.051 हैक्टर, किला नं. 7 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 14 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 15/1 की 0.228 हैक्टर, किला नं. 15/2 की 0.025 हैक्टर, किला नं. 17 की 0.253 हैक्टर कुल 1.7710 हैक्टर जिसमें नहरी 1.6700 हैक्टर, एवं गै.मु. खाला 0.1010 हैक्टर एवं चक 6 एएमएस के खाता संख्या 128/119 के मु.न. 30 के किला नं. 5/1 की 0.203 हैक्टर, किला नं. 5/2 की 0.050 हैक्टर, किला नं. 6/1 की 0.228 हैक्टर, किला नं. 6/2 की 0.025 हैक्टर, किला नं. 7 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 14 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 15/1 की 0.228 हैक्टर, किला नं. 15/2 की 0.025 हैक्टर कुल 1.2650 हैक्टर जिसमें नहरी 1.1650 हैक्टर गै.मु. खाला 0.1000 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 01 हरदत सिंह के बजाय वादी मोहित व प्रतिवादी हरदतसिंह व प्रतिवादिया सं. 02 मोनिका तीनों बहिस्सा बराबर 1/3-1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12-03-2022 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी

भादरा